**(वाद सं0.-2370/4/26/2021)**

20.02.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, हितनाथ सिंह, सेवा निवृत सहायक, सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, सोन भवन, पटना के वर्ष, 2010 में सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन के भुगतान से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **बिहार सरकार के जल संसाधन, विभाग बिहार, पटना के अन्तर्गत** कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय के द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार परिवादी की नियुक्ति सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना में की गई थी , जो दिनांक–11.12.1974 से प्राधिकार / एजेन्सी के रूप में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात् , परिवादी दिनांक–30.09.2010 को सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, पटना से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिवादी को सभी देय पावनाओ का भुगतान सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, पटना के द्वारा कर दिया गया है। प्रतिवेदन में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि पूर्ववर्ती कमाण्ड कर्मियो को राज्य कर्मियों की भॉति पेंशन का लाभ देय नहीं है। पूर्ववर्ती कमाण्ड कर्मियों द्वारा पूर्व में राज्य कर्मियों की भॉति पेंशन लाभ सुविधा के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में कई याचिकायें दायर की गई है, जो माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा खारिज की जा चुकी है। अपने प्रतिवेदन के साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय , पटना के CWJC No. 17738 / 2019, 17772 / 2019 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से दिनांक–14.12.2021 को पारित आदेश की प्रति भी अनुलग्नित की गई है साथ–ही–साथ अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में सुसंगत कागजातों की प्रति भी अनुलग्नित की गई है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा सरकार के उपरोक्त प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है लेकिन माननीय

पटना उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त निणय के संबंध में कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है।

अब जबकि सोन कामाण्ड क्षेत्र प्राधिकार/एजेन्सी के कर्मियों को पेंशन लाभ की सुविधा अनुमान्य नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

**बिहार सरकार के जल संसाधन, विभाग बिहार, पटना के अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए **बिहार सरकार के जल संसाधन, विभाग बिहार, पटना के अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय** से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नको सहित ) की प्रति संलग्न करते हुए **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

**निबंधक**